

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

प्रकरण संख्या 02/2020

अनवान

1 श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री कजोड माली निवासी सांगानेर कॉलोनी, भीलवाडा

..... वादी

बनाम

1 श्रीमती कंकु देवी पत्नि स्व0 श्री रतना उर्फ रतन लाल माली निवासी आमली पुरावतान
तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडी।

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955


उपस्थित :- श्री अमित कोठारीवादी वकील
पैरोकार सरकार

दिनांक- 01-04-2021

वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क), 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आपसी राजीनामें से मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती हैं कि आराजी संख्या 234 रकबा 0.02 बिस्वा, आराजी संख्या 235 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 236 रकबा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 238 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, आराजी संख्या 239 रकबा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 240 रकबा 17 बिस्वा कुल कित्ता 06 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम आमली पटवार हल्का बरडौद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा की राजस्व जमाबन्दी मे प्रतिवादी संख्या 01 का नाम 2/9 वें हिस्से तक हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार हमीरगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार हमीरगढ तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।



आज दिनांक 01-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी


(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाडा